

प्रधान,

**श्री जय राम  
श्री जय राम  
उत्तर प्रदेश सरकार**

सेवा में,

**श्री जय राम  
श्री जय राम  
उत्तर प्रदेश सरकार**

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतक: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2004

विषय:-

**श्री जय राम शिवालय का सन्ध-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा 9**

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय जो नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापूर्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रजीकृत सौसायटी का सन्ध-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा 9
- 121 वि लय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे 30प्र0मा0 शिक्षा परिषद/ वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकासिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ज से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0मा0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सभापत हो जायेगें ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से व वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

**2- इस सम्बन्धी सभी कार्य के लिये राज्य सरकार से कलिये हे डिप्टी सचिव/सहायक सचिव के पूर्व संकेत द्वारा अपने संबंधित विभागों में सुलभता हेतु 20-11-61 में सभी के द्वारा दायरे में रखा जायेगा एवं कार्य के लिये तब तक कार्य के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा जो कार्य को करेगा।**

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भ्रमदीप,  
 सचिव राज्य  
 शिक्षा विभाग ।

प्रसंगिक दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
  - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **प्रसंगिक** ।
  - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **कानपुर** ।
  - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 30 प्रो, लखनऊ ।
  - 5- प्रबंधक, **सोनाली उच्च शिक्षण संस्थान 20-11-61 के लिये कार्य, कानपुर, कानपुर** ।
  - 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,  
 सचिव राज्य  
 शिक्षा विभाग ।  
 2